

"विजयपुर पोस्ट के अन्तर्गत डा. शुल्क के
नगम भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण
हि अमुक्त. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़
गजट / 38 वि. से. मित्तर्द, दिनांक
30-05-2016."



पंजीयन प्रभाव
"छत्तीसगढ़ (पुनर्) 09/2013-2015"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 अगस्त 2016— श्रावण 26, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2016

अधिसूचना

क्रमांक एम 5-5/आठ-परि./2016. — छत्तीसगढ़ मोटरवाहन कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, "कम्बाईण्ड हार्वेस्टर वाहन" को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उद्गृहणीय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, जो इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा.

No. F 5-5/viii-Trans./2016. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 read with sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Motor Vehicles Taxation Act, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, exempts "Combined Harvester Vehicle" from payment of tax leviable under the said Act with effect from the date of issuance of this notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अद्वैतानुसार,
बिजय कुमार शुर्वे, संपुर्ण सचिव.